ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–2012) के दौरान

स्वायत्त कालेजों हेतु दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली – 110002
वेबसाइट : **www.ugc.ac.in**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

ग्यारहवीं योजना दिशानिर्देश

स्वायत्त कालेज योजना

1. प्रस्तावना

स्वायत्त कालेजों के महत्व को उजागर करते हुए भारत में उच्च शिक्षा के स्वरूप से संबंधित 11वीं योजना के वि0अ0आ0 दस्तावेज में स्पष्टतः कहा गया है, पूर्वस्नातक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का एकमात्र सुरक्षित एवं बेहतर उपाय अधिसंख्य कालेजों को संबंधन संरचना से पृथक कर देना है। अकादमिक और कार्यात्मक स्वतंत्रता वाले कालेज अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनकी विश्वसनीयता भी अधिक है। ऐसे कालेजों को वित्तीय सहायता स्वायत्तता की संकल्पना को बल देती है। स्वायत्तता की संस्कृति को फैलाने के लिए स्वायत्त कालेजों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है और योजना की समाप्ति तक 10 प्रतिशत पात्र कालेजों को स्वायत्त कालेज बनाने का लक्ष्य है।

स्वायत्तता की आवश्यकता

प्रारंभ में कालेजों की संबंधक प्रणाली उस समय तैयार की गई थी जब किसी एक विश्वविद्यालय में उनकी संख्या बहुत कम होती थी। तब विश्वविद्यालय कालेजों के कार्य की कारगर ढंग से देखभाल कर सकता था, परीक्षक निकाय के रूप में कार्य कर सकता था और उनकी ओर से डिग्री प्रदान कर सकता था। यह प्रणाली अब अव्यवहारिक हो गई है और प्रत्येक कालेज की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं पूरी करना विश्वविद्यालय के लिए दिनों–दिन कठिन होता जा रहा है। कालेज अपनी पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाने तथा स्थानीय रूप से उसे प्रासंगिक बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। सभी कालेजों पर समान रूप से लागू होने वाले विश्वविद्यालय विनियमों और उनकी सामान्य प्रणाली से प्रत्येक कालेज का अकादमिक विकास

प्रभावित हुआ है चाहे उनके प्रबल पक्ष तथा दुर्बल पक्ष और अवस्थितियां कुछ भी रही हों। जिन कालेजों के पास उच्चस्तरीय कार्यक्रम प्रस्तुत करने की संभाव्यता विद्यमान है उनके पास उन्हें लागू करने की स्वतंत्रता नहीं है। 1964–66 के शिक्षा आयोग ने यह जताया था कि हमारे देश के बौद्धिक वातावरण के विकास के लिए शिक्षकों द्वारा अकादमिक स्वतंत्रता का उपयोग किए जाने की अति आवश्यकता है। जब तक ऐसा वातावरण नहीं बन जाता है तब तक हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना दुष्कर है। चूँकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में छात्र, शिक्षक एवं प्रबंधक वर्ग समान रूप से भागीदार हैं। अतः मुख्य दायित्व में उनका बराबर भाग लेना परमावश्यक है। इसी दृष्टिकोण से शिक्षा आयोग (1964–66) ने कालेज स्वायत्तता की सिफारिश की जो कि तत्वतः अकादमिक उत्कृष्टता में वृद्धि करने का साधन है।

2. उद्देश्य

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986–92) ने स्वायत्त कालेजों के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं। स्वायत्त कालेज को निम्नलिखित मामलों में स्वतंत्रता होगी।

- अपने अध्ययन–पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण निर्धारित एवं विहित करना और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन एवं पुनः डिजाइन तैयार करना।
- राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप दाखिले के नियम बनाना।
- छात्रों के निष्पादन का मूल्यांकन करने, परीक्षा लेने और परिणाम अधिसूचित करने की विधियां तैयार करना।
- उच्च स्तर तथा अधिक रचनात्मकता प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधन इस्तेमाल करना; और
- सामुदायिक सेवा, विस्तार–गतिविधियां, आम समाज के लिए परियोजनाएं, पड़ोस के कार्यक्रम आदि जैसी स्वस्थ प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।

(ख) मूल विश्वविद्यालय, राज्य सरकार तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के साथ संबंधः

स्वायत्त कॉलेज अपनी पाठ्यचर्या तैयार करने, परीक्षा तथा मूल्यांकन की विधियां सोच निकालने के लिए विश्वविद्यालय विभागों तथा अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वे अपने शिक्षकों को (निजी तथा सरकारी कालेजों के लिए) विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार भर्ती कर सकते हैं।

मूल विश्वविद्यालय अपने स्वायत्त कालेजों की शिक्षण, परीक्षा, मूल्यांकन तथा पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की कार्यप्रणाली स्वीकार करेंगे। ये कालेजों को अपने अकादमिक कार्यक्रम विकसित करने, संकाय सुधारने में, कालेजों के विभिन्न निकायों की चर्चाओं में भाग लेकर आवश्यक मार्गदर्शन करने में उसकी सहायता भी करेंगे।

मूल विश्वविद्यालय की भूमिका यह होगी:

- अपने प्रभाव–क्षेत्र में अधिक संख्या में स्वायत्त कालेजों को लाना।
- नवाचारी अकादमिक कार्यक्रम शुरू किए जाने के कार्य को प्रोत्साहित करके स्वायत्त कालेजों में अकादमिक कार्यक्रम शुरू किए जाने के कार्य को प्रोत्साहित करके स्वायत्त कालेजों में अकादमिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।
- अनुदेश में अपेक्षित न्यूनतम घंटों, विषयवस्तु एवं मानकों के अधीन अध्ययन के नवीन पाठ्यक्रमों को सुकर बनाना।
- उन्हें अपने अनन्तिम, प्रवास तथा अन्य प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति देना
- स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देने के लिए यथासंभव सभी उपाय करना।
- यह सुनिश्चित करना कि जारी की गई डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र कालेज का नाम दर्शाते हैं।
- स्वायत्त कालेजों की विभिन्न समितियों में कार्य करने तथा उनके कार्यकलापों के विषय में फीडबैक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न नामितियों को प्रतिनियुक्त करना।
- स्वायत्त कालेजों के सुचारू कार्य को सुकर बनाने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, पृथक स्कंध (विंग) बनाना।

राज्य सरकार स्वायत्त कालेजों की सहायता इस प्रकार करेगी:

- आवश्यकता–आधारित स्थानान्तरणों को छोड़कर जहां तक संभव हो शिक्षकों के स्थानांतरण करने से बचना, विशेषकर उन कालेजों में जहां अकादमिक नवाचार और सुधार चल रहे हों।
- समीक्षा समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के 90 दिनों के अनुबंधित समयावधि में किसी कालेज की स्वायत्तता बढ़ाने के अपनी सहमति सूचित करना। ऐसा न करने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि कालेज की स्वायत्तता जारी रहने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है; और
- सरकारी कालेजों के शासी निकाय तथा अन्य निकायों में, जहां कहीं भी उनके नामित व्यक्ति शामिल किए जाने हों वहां समय पर नामितियां को प्रतिनियुक्त करना।
- तीनों अंशधारकों, मूल विश्वविद्यालय, राज्य सरकार तथा वि0अ0आ0 को सुविधाप्रदाता के रूप में अत्यन्त सुसंगत एवं सक्रिय भूमिका अदा करनी होगी।

ग. स्वायत्त दर्जा प्रदान करना

संस्थान को प्रदत्त स्वायत्ता संस्थागत है तथा यह स्नातकपूर्व स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, एम0फिल स्तर पर सभी पाठ्यक्रमों को कवर करता है जो संस्थान द्वारा स्वायत्तता दर्जा प्रदान करते समय चलाए जा रहे हैं। साथ ही संस्थान द्वारा स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद आरंभ किए गए सभी पाठ्यक्रम स्वतः ही स्वायत्तता के क्षेत्र के तहत आ जायेंगे। किसी भी संस्थान को आंशिक स्वायत्तता नहीं दी जा सकती है।

स्वायत्तता के दर्जे में कालेजों में चलाए जा रहे प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर तथा एम0फिल0 कार्यक्रम कवर किए जाते हैं जोकि स्वायत्त है तथा जो स्वायत्त दर्जा चाहते हैं। मूल विश्वविद्यालय किसी कालेज, जो स्थायी रूप से सम्बद्ध है उसे राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति से स्वायत्त का दर्जा प्रदान करेगा। एक बार स्वायत्तता दिए जाने पर, विश्वविद्यालय स्वायत्त कालेज द्वारा यथासंस्तुत इस प्रकार की डिग्री दिए जाने हेतु स्वायत्त कालेज के छात्रों को स्वीकृति देगा। विश्वविद्यालयों के अधिनियम तथा परिनियमों में संशोधन करना चाहिए ताकि सम्बद्ध कालेजों को स्वायत्तता अनुदान का प्रावधान किया जा सके। स्वायत्तता प्रदान किए जाने से पूर्व, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन करने वाले कालेज का प्रबंधन ढांचा पर्याप्त रूप से भागीदार है तथा अकादमिशियनों को सृजनात्मक योगदान देने के लिए बहुल अवसर प्रदान करता है।

3. पात्रता/लक्ष्य–ग्रुपः

वे सभी कालेज जो वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2 (च) के अन्तर्गत आते हैं चाहे वे सहायता प्राप्त कर रहे हों, या सहायता प्राप्त न कर रहे हों, आंशिक रूप से सहायता प्राप्त कर रहे हों तथा जो वि0अ0आ0 की धारा 12 (ख) के तहत कवर हो या न हों, वे स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इसमें इंजीनियरिंग कालेज भी शामिल हैं।

स्वायत्तता प्रदान किए जाने के लिए संस्थाओं की पहचान करने के लिए मानदंडः

किसी कालेज को स्वायत्तता प्रदान किए जाने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाती हैंः

(क) विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूर्व निष्पादन तथा अकादमिक ख्याति तथा विगत समय में अकादमिक/सह–पाठ्यचर्या/विस्तार–गतिविधियां।

(ख) संकाय की अकादमिक/विस्तारपरक उपलब्धियां।

(ग) इस संबंध में सांविधिक आवश्यकताओं के अधीन छात्रों तथा शिक्षकों के चयन में गुणवत्ता एवं योग्यता।

(घ) आधारिक संरचना की पर्याप्तता यथा पुस्तकालय, उपस्कर, अकादमिक गतिविधियों के लिए स्थान आदि।

(ड़) संस्थात्मक प्रबंधन की गुणवत्ता।

(च) संस्था के विकासार्थ प्रबंध/राज्य सरकार द्वारा मुहैया किए गए वित्तीय संसाधन।

(छ) प्रशासनिक ढांचे की अनुक्रियात्मकता।

(ज) नवाचारी सुधारों के संवर्धन में संकाय का अभिप्रेरण एवं इससे उनका संलग्न होना।

(झ) स्थापना के दस वर्ष पूरे करने पर स्व–वित्तपोषण करने वाले कालेज भी स्वायत्तता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तथापि, स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने से वे स्वायत्तता अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हो जायेंगे। उन्हें उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो दूसरे कालेजों के लिए लागू है।

(ञ) वे कालेज जो शिक्षा, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी प्रबंधन तथा शारीरिक शिक्षा आदि के क्षेत्र में पेशेवर पाठ्यक्रमों की सुविधा देते हैं वे आयोग से अनुदान प्राप्त करने के भी पात्र होंगे। इस प्रकार के अनुदान की स्वीकृति स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने के बाद इन कालेजों के आकार एवं विकास के चरण पर निर्भर करेगी।

4 स्वायत्तता हेतु आवेदन करने पूर्व की जाने वाली तैयारीः

स्वायत्तता के लिए कालेज को तैयार करनाः

कालेज की स्वायत्तता का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए अनेक विषय क्षेत्र ऐसे हैं जहां उपयुक्त तैयारी आवश्यक है। वे इस प्रकार हैंः संकाय तैयार करना, विभागीय तैयारी, संस्थागत तैयारी एवं छात्रों तथा स्थानीय समुदाय को तैयार करना। ऐसी बहुमुखी तैयारी स्वायत्तता चाहने से काफी पहले तथा कालेज को दर्जा प्रदान किए जाने से पहले पूरी कर ली जानी चाहिए ताकि कालेज समुदाय के किसी भी अंग को ऐसा नहीं पाया जाता है कि वह नवीन उत्तरदायित्व के लिए तैयार नहीं हैं जिसका वहन करने की इससे अपेक्षा की जाती है।

संकाय तैयार करना:

कालेज के स्टाफ को शुरू से ही विचार करने एवं योजना तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल करना आवश्यक है। स्वायत्तता की संकल्पना उद्देश्य एवं औचित्य से स्टाफ को अवगत कराने के लिए संगोष्ठियां, कार्यशालाएं तथा परामर्श आयोजित किए जा सकते हैं। (इससे उनमें निर्णय लेने के कार्य में भागीदारी की भावना पैदा करने में तथा उन्हें समग्र प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभिप्रेरित करने में सहायता मिलेगी)। इसे कालेज का अकादमिक कैलेण्डर का भाग बनाया जा सकता है।

विभागीय तैयारी:

मुख्य तथा संबंधित विषयों में उपर्युक्त पाठ्यक्रम डिजाइन करना, अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों को लागू करना विषयवस्तु बदलकर पुराने पाठ्यक्रम को नवीन नाम देना, प्रत्येक विद्याशाखा में अधुनातन पाठ्यक्रमों के तुल्य बनाने के लिए विद्यमान पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाना, पाठ्यक्रम सामग्री और मानव संसाधन तैयार करना विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

ये कार्य स्वायत्तता के सामान्य उद्देश्यों तथा शिक्षा–संस्थाओं के विशिष्ट उद्देश्यों के प्रकाश में किए जाएंगे।

अपनाए जाने वाले सामान्य कार्यक्रम:

(क) अध्ययन का सेमेस्टर पैटर्न

(ख) सतत आंतरिक मूल्यांकन

(ग) क्रेडिट/ग्रेडिंग प्रणाली

(घ) छात्र फीडबैक

(ड़) शिक्षकों द्वारा स्व–मूल्यांकन

संस्थागत तैयारी:

चूँकि एक स्वायत्त कालेज को अनेक ऐसे कार्य करने होते हैं जो अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा किए जाते थे अतः इसे एक प्रकार के परिवर्तन में निहित अकादमिक, प्रशासनिक/प्रबंधन एवं वित्तीय निहितार्थों का अध्ययन करना चाहिए और नए कार्यो का सुचारू निष्पादन करने के लिए अपने को तैयार करना चाहिए।

5. आवेदन करने की प्रक्रिया:

वि0अ0आ0 स्वायत्तता दर्जा प्राप्त करने के पात्र कालेजों से एक अकादमिक वर्ष में एक बार, सितम्बर/अक्तूबर माह में प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन देगा। विश्वविद्यालय भी कालेजों को आवेदन करने के लिए परिपत्र भी भेजेगा।

6. वि0अ0आ0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने की प्रक्रिया:

स्वायत्तता प्रदान करने के लिए अनुदानों का अनुमोदन दो स्तरों में किया जाएगा। प्रथम स्तर पर वि0अ0आ0 द्वारा एक छानबीन समिति का गठन किया जाएगा। समिति की संरचना इस प्रकार होगी :

(क) वि0अ0आ0 द्वारा नामित तीन से पांच विशेषज्ञ (एक विशेषज्ञ संयोजक द्वारा नामित किया जाएगा)

(ख) संबंधित राज्य का उच्च शिक्षा सचिव/अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति

(ग) अध्यक्ष राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति (जहां कहीं भी गठन किया गया हो)

(घ) कालेज–शिक्षा निदेशक/आयुक्त अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति

(ड़) कुलपति अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति

(च) संयुक्त सचिव, स्वायत्तत कालेज का वि0अ0आ0 प्रभारी–सदस्य सचिव

दूसरे स्तर पर वि0अ0आ0 द्वारा गठित अन्य विशेषज्ञ समिति संक्षिप्त सूची में दर्ज कालेजों का दौरा करेगी। यह समिति अपने निष्कर्षों एवं सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट वि0अ0आ0 को प्रस्तुत करेगी। इसके पश्चात् वि0अ0आ0 इसकी सिफारिशें स्वायत्तता प्रदान किए जाने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय को भेजेगा। प्रारंभ में स्वायत्तता छह वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी।

7. सहायता का स्वरूप

वित्तीय सहायता तथा अन्य समर्थकारी उपबंध

आयोग स्वायत्त कालेजों को उनकी अतिरिक्त तथा विशेष आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इस योजना के अधीन सहायता उपलब्ध कराएगा।

- अतिथि/अभ्यागत संकाय
- शिक्षकों की अभिविन्यास तथा पुनः प्रशिक्षण
- पाठ्यक्रमों की पुनःरचना तथा शिक्षण/अधिगम सामग्री का विकास
- कार्यशालाएं और संगोष्ठियां
- परीक्षा सुधार
- कार्यालय उपस्कर, शिक्षण साधन तथा प्रयोगशाला उपस्कर
- कार्यालय, कक्षा, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं के लिए फर्नीचर
- पुस्तकालय उपस्कर, पुस्तकें/जर्नल
- शासी निकाय तथा समितियों की बैठकों पर व्यय
- परीक्षा नियंत्रक (पूर्णकालिक) को मानदेय। यह रु. 8000/– प्रति माह से अधिक नहीं होगा।
- प्रत्यायन (नाक) फीस
- पुरूद्धार एवं मरम्मत जिसमें नए भवन का निर्माण शामिल नहीं है।
- विस्तार गतिविधियां

स्वायत्तता अनुदान के उपयोग के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे।

- स्वायत्त अनुदान की निधियों का इस्तेमाल नवीन मदों के सृजन, कालेज स्टाफ को वेतन की अदायगी विद्यमान स्टाफ को मानदेय (उपर्युक्त खंड (x) को छोड़कर) देने के लिए कालेज की सामान्य आकस्मिक आवश्यकताएं पूरी करने अथवा सहायिकी प्रदान करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- परीक्षा शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि शुल्क की आय से परीक्षाओं तथा परीक्षा शाखा में नियुक्त अन्य स्टाफ पर होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके।

- सामान्य सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगीः–

क्र0सं0	संस्थान का स्वरूप	अनुदान की राशि (रूपए में)
(क)	केवल स्नातक पूर्व 1. कला/विज्ञान/वाणिज्य–केवल एक शिक्षक 2. '' '' '' –एक से अधिक शिक्षक	 90,000 प्रतिवर्ष 1,50,000 प्रतिवर्ष
(ख)	स्नातकोत्तर तथा स्नातकपूर्व दोनों स्तरों के लिए 1. एकल संकाय 2. बहु–संकाय	 10,00,000 प्रतिवर्ष 20,00,000 प्रतिवर्ष

8. <u>स्वायत्त कालेज का शासनः</u>

अकादमिक, वित्तीय तथा सामान्य प्रशासनिक मामलों का समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए कालेज में निम्नलिखित समितियां होंगीः–

<u>सांविधिक निकाय निम्नलिखित हैं:</u>

- शासी निकाय
- विद्या परिषद्
- पाठ्य समिति
- वित्त समिति

*(शासी निकाय, न्यास बोर्ड/प्रबंध बोर्ड/कार्यकारिणी समिति/प्रबंध समिति से भिन्न हैं)

उपर्युक्त समितियों का गठन एवं कार्य **अनुलग्नक III के VII** में दिए गए हैं। इसके अलावा कालेज में अन्य समितियां भी होंगी जैसे–योजना और मूल्यांकन समिति, शिकायत अपील समिति, परीक्षा समिति, दाखिला समिति, पुस्तकालय समिति, छात्र कल्याण समिति, पाठ्येत्तर गतिविधि समिति और अकादमिक लेखापरीक्षा समिति।

शासी निकायः

शासी निकाय का गठन **अनुलग्नक –III** में दी गई संरचना के अनुसार होगा।

अकादमिक परिषद्:

विद्या परिषद् अकादमिक नीति तैयार करना, पाठ्यक्रमों का अनुमोदन, विनिमय तथा पाठ्य विवरण जैसे सभी अकादमिक मामलों के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगी। परिषद् सभी स्तरों पर संकाय वर्ग को तथा बाहर के विशेषज्ञों को भी शामिल रखेगी जिसमें विश्वविद्यालय तथा सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अकादमिक परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् अथवा विश्वविद्यालय के अन्य शासी निकायों के अनुसमर्थन के अधीन नहीं होंगे। अकादमिक परिषद् का गठन तथा कार्य **अनुलग्नक IV** में दिए गए हैं।

अध्ययन बोर्डः

अध्ययन बोर्ड स्वायत्त कालेज की अकादमिक प्रणाली का बुनियादी घटक है। इसके कार्यों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य–विवरण तैयार करना, समय–समय पर इसकी समीक्षा करना तथा अद्यतन बनाना, अध्ययन के नए पाठ्यक्रम लागू करना, सतत् मूल्यांकन के ब्यौरे का निर्धारण करना, सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत परीक्षकों के पैनल की सिफारिश करना शामिल है। अध्ययन बोर्ड का गठन एवं कार्य **अनुलग्नक V** में दिए गए हैं।

वित्त समितिः

वित्त समिति शासी निकाय को परामर्श देगी और वर्ष में कम से कम दो बार इसकी बैठक होगी। वित्त समिति की संरचना एवं कार्यों का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

9. परिवीक्षण/मूल्यांकन करने की प्रक्रिया और अनुदान को जारी किया जाना

- ❖ स्वायत्तता का अधिकार सदा के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा। कालेज को सतत् रूप से इसे अर्जित करना होगा। स्वायत्तता प्रारंभ में छह वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी।
- ❖ प्रत्येक स्वायत्त कालेज अपनी अकादमिक परिषद् के अनुमोदन से इसके अकादमिक निष्पादन का मूल्यांकन स्तर में सुधार तथा स्वायत्तता का उपयोग करने में प्राप्त सफलता को आंकने के लिए उपर्युक्त कार्यप्रणाली तैयार करेगी। स्व–मूल्यांकन प्रतिवर्ष किया जाएगा। इसके अलावा दो बाहरी मूल्यांकन होंगे। पहला चार वर्ष के बाद और दूसरा 6 वर्ष के बाद। दूसरा मूल्यांकन उपरोक्त स्वायत्तता का दर्जा जारी रहने अथवा रद्द करने का निर्णय करेगा।

स्वायत्तता की पहली तथा उत्तरवर्ती अवधि समाप्त हो जाने के बाद स्वायत्तता दर्ज के विस्तार के लिए कालेज के प्रस्ताव की जांच के लिए एक संयुक्त विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जिसमें सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा संबंधित राज्य सरकार, दोनों से एक–एक प्रतिनिधि तथा तीन प्रतिनिधि वि0अ0आ0 से होंगे जिसमें से एक समिति का संयोजक होगा।

मौजूदा स्वायत्त कालेजों को परेशानी से बचाने के लिए, ग्राहय अनुदान के 80 प्रतिशत भाग को इस प्रकार के स्वायत्त कालेज को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ''आन

अकाऊंट'' अनुदान के रूप में जारी कर दिया जाएगा यदि स्वायत्त कालेजों की समीक्षा में स्वायत्तता अवधि की समाप्ति से अधिक विलम्ब हो जाता है।

साथ ही समीक्षा रिपोर्ट तथा स्वायत्तता नवीकरण में विलम्ब होने पर, कालेज स्वायत्तता के साथ–साथ योजना में परिकल्पित मौद्रिक या अन्य लाभ का हकदार होगा जब तक कि सरकार या मूल विश्वविद्यालय विशेष आदेश के द्वारा इस प्रकार के लाभ को जारी रखने पर रोक नहीं लगाता है।

किसी स्वायत्त कालेज में स्तरों में गिरावट के पुष्टिकारक साक्ष्य मिलने की स्थिति में वि0अ0आ0 तथा विश्वविद्यालय कालेज की स्वायत्तता सावधानीपूर्वक की गई छानबीन, आपसी परामर्श एवं प्रबंधकों को उचित अधिसूचना देने के बाद समाप्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों में स्वायत्तता योजना के अधीन पहले से दाखिल कर लिए गए छात्रों को स्वायत्तता के दर्जे के अधीन पाठ्यक्रम पूरा करने दिया जाएगा। स्वायत्त कालेज को स्वायत्ता/विस्तार प्रदान किए जाने की तिथि से दो वर्ष के भीतर अपने लिए ''नाक (एन0ए0ए0सी0) द्वारा प्रत्यायन प्राप्त कर लेना चाहिए।

<u>वि0अ0आ0 द्वारा स्वायत्तता अनुदान जारी किए जाने की प्रक्रिया :</u>

अवधि के दौरान स्वायत्तता का दर्जा प्राप्त कालेजों को स्वायत्तता अनुदान जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

1. स्वायत्त कालेज को अप्रैल के पहले सप्ताह में पिछले वर्ष के स्वायत्तता अनुदान का उपयोग करने तथा आगामी वर्ष के स्वायत्तता अनुदान के लिए के बजट पर चर्चा करने के लिए वित्त समिति की बैठक आयोजित करनी चाहिए। इस बैठक में बजट के विस्तृत खाके को विधिवत् रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए।

2. केवल उन्हीं मदों को शामिल किया जाना चाहिए जो दिशानिर्देशों के खण्ड–7 के अनुसार ग्राह्य हैं। इन मदों के अलावा कोई अन्य मद उपयोग के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी।

3. इस प्रकार तैयार किए गए तथा वित्त समिति द्वारा अनुमोदित बजट को प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल से पूर्व अंतिम अनुमोदन हेतु शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा।

4. वित्त समिति तथा शासी निकाय द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित बजट को 30 अप्रैल या इससे पहले वि0अ0आ0 के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि शासी निकाय की बैठक अपरिहार्य कारणों के चलते 30 अप्रैल से पहले आयेाजित नहीं की जाती है तो प्राचार्य शासी निकाय के सदस्य सचिव की हैसियत से, शासी निकाय के अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन वि0अ0आ0 के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को बजट प्रस्तुत कर सकते हैं।

11. नए पाठ्यक्रमों का प्रारंभ करने के संबंध में सामान्य बातें:

स्वायत्त कालेज विश्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन के बिना डिप्लोमा (स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर) अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए स्वतंत्र हैं। डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कालेज की मुहर के साथ जारी किये जायेंगे।

स्वायत्त कालेज, कालेज की अकादमिक परिषद् के अनुमोदन से नई डिग्री अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने में स्वतंत्र हैं। ऐसे पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय/वि0अ0आ0 द्वारा घटों की संख्या, पाठ्यचर्या की विषयवस्तु एवं स्तर की बावत विहित न्यूनतम स्तर की पूर्ति करेंगे एवं ऐसे पाठ्यक्रमों के विषय में विश्वविद्यालय को विधिवत् सूचित किया जाएगा।

स्वायत्त कालेज वि0अ0जा के मानदण्डों के अनुसार कालेज की अकादमिक परिषद् के अनुमोदन से नवीन गठन/डिजाईन के पश्चात् विद्यमान पाठ्यक्रमों को नया नाम दे सकता है। विश्वविद्यालय को ऐसी कार्यवाही विधिवत् सूचित की जानी चाहिए ताकि यह पुरानी डिग्रियां के स्थान पर नई डिग्रियां प्रदान कर सके।

विश्वविद्यालय को स्वायत्त कालेज के सभी नए पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। जहां गुणवत्ता अथवा स्तर में गिरावट दिखाई दे वहां विश्वविद्यालय सावधानीपूर्वक छानबीन करने के बाद वि0अ0आ0 के साथ परामर्श करके यदि संभव हो तो उन्हें सुधारने में मदद करें अथवा ऐसे पाठ्यक्रमों को रद्द कर दें।

मूल विश्वविद्यालय के माध्यम से डिग्रियां प्रदान करना

मूल विश्वविद्यालय स्वायत्त कालेजों द्वारा मूल्यांकित एवं संस्तुत छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेगा। डिग्री का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए सामान्य आरूप (फार्मेट) में होगा। यदि वांछित हो तो कालेज का नाम डिग्री प्रमाण–पत्र में दिया जा सकता है। जिन स्वायत्त कालेजों ने तीन कार्यकाल पूरे कर लिए हैं तो वे विश्वविद्यालय की मुहर के साथ अपने नाम से डिग्री प्रदान कर सकते हैं।

10. स्वायत्त कालेज की विशिष्ट विशेषताएं

नया पाठ्यक्रम आरंभ करना

कोई भी स्वायत्त कालेज डिप्लोमा (स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर) या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के आरंभ करने को स्वतंत्र है। डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र कालेज की मुहर के तहत जारी किए जायेंगे।

स्वायत्त कालेज, कालेज की अकादमिक परिषद् के अनुमोदन से नई डिग्री या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम घटों की संख्या पाठ्यक्रम की विषयवस्तु तथा मानकों के रूप में विश्वविद्यालय/वि0अ0आ0 द्वारा विहित न्यूनतम मानदण्ड पर खरे उतरने चाहिए तथा विश्वविद्यालय को इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के बारे में विधिवत् रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

एक स्वायत्त कालेज, मौजूदा पाठ्यक्रम के पुर्नगठन/पुर्नःतैयार करने के बाद वि0अ0आ0 मानदण्डों के अनुसार कालेज अकादमिक परिषद् के अनुमोदन से इसका पुर्न नामकरण कर सकता है। **नया नाम वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 22 के तहत यथा विर्निदिष्ट होना चाहिए।** विश्वविद्यालय को इस प्रकार की कार्यवाहियों के बारे में यथोचित रूप से सूचित किया जाना चाहिए ताकि यह पुरानी डिग्री की बजाय नई डिग्री दे सके।

विश्वविद्यालय को किसी स्वायत्त कालेज के सभी नए पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। जहां मानदण्ड या गुणवत्ता में गिरावट के सबूत हों, विश्वविद्यालय सावधानीपूर्वक सवीक्षा कर, वि0अ0आ0 के परामर्श से, जहां कहीं संभव हो, इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को या तो उन्हें आशोधित करे या उन्हें रद्द करें।

स्वायत्त कालेज द्वारा नया पाठ्यक्रम आरंभ करने की प्रक्रिया

पहला कदम

कालेज के संबंधित विभाग को नए पाठ्यक्रम के विचार को जन्म देना चाहिए और इस विषय पर अध्ययन बोर्ड की भली–भांति चर्चा होनी चाहिए। अध्ययन बोर्ड सभी आवश्यक ब्यौरे यथा उद्देश्य, अर्हता, पाठ्यक्रम विषयवस्तु तथा शुल्क ढांचें के साथ विचार को प्रस्ताव में परिवर्तित करेगा। इस प्रकार के प्रस्ताव को अकादमिक परिषद् को अग्रेषित किया जाएगा। प्रस्ताव अध्यादेश की शक्ल में होगा।

दूसरा कदम

यदि परिषद् को प्रस्ताव उचित लगे तो अकादमिक परिषद् इस प्रकार के प्रस्ताव की बैठक में चर्चा करेगा और प्रस्ताव को अनुमोदित करेगा। अकादमिक परिषद् को अधिकार होगा कि वह पुनरीक्षण/आशोधन के लिए प्रस्ताव अध्ययन बोर्ड को वापिस भेज दे या उचित कारण देकर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। आवश्यक आशोधन किए जाने पर प्रस्ताव को पुनर्विचार करने के लिए अकादमिक परिषद् को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

तीसरा कदम

अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को अंतिम अनुमोदन तथा प्रस्ताव को निष्पादन करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कालेज के शासी निकाय को प्रस्तुत किया जाएगा।

चौथा कदम

स्वायत्त कालेज, कालेज के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित सभी प्रस्ताव को विश्वविद्यालय को सूचनार्थ भेजेगा।

विश्वविद्यालय कालेज से प्रस्ताव के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता है। कालेज इस प्रकार के स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य है चूँकि नए प्रस्तावित पाठ्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय ही छात्रों को डिग्री प्रदान करेगा।

11. सांविधिक निकायों की बैठकें:

बड़े पैमाने पर तैयारी तथा चर्चा के बाद ही नए पाठ्यक्रम को आरंभ किया जाना चाहिए।

- अध्ययन बोर्ड की बैठकों के साथ पिछले सत्र के अक्तूबर माह से ही अगले अकादमिक सत्र में आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रम की तैयार शुरू की जानी चाहिए।
- अकादमिक परिषद् की बैठक दो बार होनी चाहिए एक जनवरी माह में, अगले अकादमिक सत्र के लिए प्रस्तावों पर चर्चा करने तथा पुनः अगस्त माह में, आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रम की स्थिति की निगरानी करने के लिए। अकादमिक परिषद् गुणवत्ता मानदण्डों को बनाए रखने के लिए तरीके सुझाएगा।
- अकादमिक परिषद् की बैठकों के बाद शासी निकाय की बैठक होनी चाहिए। अगस्त माह में शासी निकाय को वि0अ0आ0 द्वारा प्राप्त स्वायत्ता अनुदान सहित स्वायत्त निधि के बजट को पारित करना चाहिए।
- वित्त समिति की बैठक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए। बैठकों को प्रत्येक वर्ष के अप्रैल तथा सितम्बर माह में आयोजित किया जा सकता है। अप्रैल में होने वाली बैठक स्वायत्तता अनुदान के लिए बजट बैठक होगी तथा सितम्बर में कालेज द्वारा परीक्षा एवं अन्य संगत फीस के माध्यम से सृजित स्वायत्तता निधि के संबंध में दूसरी बजट बैठक होगी।

12. परीक्षा प्रकोष्ठ तथा तंत्र

स्वायत्त कालेजों में एक परीक्षा प्रकोष्ठ होगा जिसकी अध्यक्षता परीक्षा नियंत्रक करेगा जो व्यक्ति की क्षमता के आधार पर प्राचार्य द्वारा नामित एक स्थायी शिक्षक होगा। कालेज का प्राचार्य परीक्षा का मुख्य नियंत्रक होगा।

परीक्षा नियंत्रक कालेज के प्राचार्य की अनुमति से अपना स्वयं का दल बनाएगा। इस दल में उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक होंगे तथा नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या परीक्षा प्रकोष्ठ में कार्य की मात्रा पर निर्भर करेगी। कालेज में कार्य करने वाले शिक्षक परीक्षा प्रकोष्ठ में 3 वर्ष की अवधि के लिए नामित किए जायेंगे। वे कालेज द्वारा यथा नियत शिक्षण कार्य करते रहेंगे।

स्वायत्त प्रकोष्ठ में कार्यालय सहायकों, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, डाटा एंट्री आप्रेटर तथा अन्य सहायकों का एक दल होगा।

परीक्षा प्रकोष्ठ में प्रश्न पत्र एवं अन्य गोपनीय सामग्री के प्रकाशन के लिए एक मुद्रण इकाई भी होगी।

परीक्षा प्रकोष्ठ के सभी अंशकालीन/पूर्णकालीन पदाधिकारियों को उनके सामान्य कार्य के अलावा अतिरिक्त कार्य करने के लिए मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार के मानदेय को वित्त समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

शासी निकाय, वित्त समिति की सिफारिश पर संविदागत आधार पर परीक्षा प्रकोष्ठ में पूर्णकालीन कर्मचारियेां की नियुक्ति का भी अनुमोदन कर सकता है। इस प्रकार के स्टाफ का वेतन भी इसी तंत्र द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आंतरिक एवं बाहरी परीक्षा के माध्यम से छात्रों का सतत् एवं बृहद मूल्यांकन किया जाएगा। प्रति सेमेस्टर कम से कम 2 आंतरिक परीक्षाएं तथा एक सेमेस्टर समाप्त होने के समय परीक्षा की जाएगी।

छात्रों को विशुद्ध शिक्षण से मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु समूह चर्चा, पत्र पठन, गृह कार्य तथा मौखिक परीक्षा आदि के विभिन्न आंतरिक मूल्यांकन के तंत्र को अंगीकार किया जाना चाहिए।

परीक्षा कार्य के लिए पारिश्रमिक को वित्त समिति द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में यह मूल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त राशि से कम नहीं होना चाहिए।

13. डिग्रियां प्रदान करना

मूल विश्वविद्यालय के माध्यम से डिग्री प्रदान करना

- मूल विश्वविद्यालय स्वायत्तत कालेजों द्वारा मूल्यांकित एवं संस्तुत छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेगा। डिग्री का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए सामान्य फार्मेट में होगा। यदि वांछित हो तो कालेज के नाम का उल्लेख डिग्री प्रमाण पत्र में किया जा सकता है।

14. कुछ सामान्य मुद्दे :

- शिक्षक स्टॉफ की सभी भर्ती राज्य सरकार तथा वि0अ0आ0 द्वारा विहित नीतियों के अनुसार शासी निकाय/राज्य सरकार द्वारा की जाएंगी।
- विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों में स्वायत्तत कालेजों के छात्रों के दाखिले के लिए उनके आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही मूल्यांकनों पर विचार करेंगे।
- कालेज के अनुवर्ती शिक्षा विभाग के अधीन विशेष आवश्यकता आधारित अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन करना स्वायत्तत कालेज की प्रमुख गतिविधि होगी। ऐसे पाठ्यक्रमों से कालेज के छात्रों के साथ–साथ बाहरी छात्रों को भी लाभ पहुंचना चाहिए जो उनके लिए अपना नामांकन कराते हैं।
- शिक्षकों द्वारा परियोजनाओं एवं विस्तार कार्य पर लगाया गया समय आयोग द्वारा विहित उनके कार्य भार में शामिल किया जाएगा।
- स्वायत्तत कालेज को विभिन्न निकायों के लिए बैठकों का एक कैलेण्डर तैयार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन ऐसी बैठकें न बुलाए जाने के कारण अनावश्यक रूप से प्रदर्शित न हो।

- पाठ्यक्रमों के अनेक प्रकार के मॉड्यूलों में विकसित किए जाने चाहिए ताकि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें चुन सकें। ऐसे पाठ्यक्रमों से उन्हें अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।
- स्वायत्तत कालेजों में शिक्षकों के मूल्यांकन में आवधिक स्व–मूल्यांकन, उनके निष्पादन का संस्थात्मक मूल्यांकन, छात्रों का फीडबैक, अनुसंधान मूल्यांकन तथा उनके मूल्यांकन के अन्य उपर्युक्त प्रकार शामिल हो सकते हैं।
- किसी प्रदत्त क्षेत्र के स्वायत्त कालेज चुने हुए क्षेत्रों–जैसे प्रबंध कौशल, राष्ट्रीय सेवा, प्रवेश–परीक्षा, सेवा परियोजनाओं का अंतः कालेज/अंतरा–कालेज तथा शिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानव संसाधन में आपसी सहकारिता के लिए एक कन्सोर्टियम बना सकते हैं।
- कालेजों के बीच आमतौर पर तथा स्वायत्त कालेजों में विशेष रूप से क्रेडिट प्रणाली तथा क्रेडिट अन्तरण उचित रूप से अपनाया जा सकता है।
- स्वायत्तत कालेजों को पुनरावर्तक अकादमिक नवाचार क्रियाकलाप आयोजित करने चाहिए जिन्हें छात्रों की रूचि तथा शिक्षा की गुणवत्ता पर बिना समझौता किए सावधानीपूर्वक डिजाईन किया जाता है।
- स्वायत्त कालेजों का विश्वविद्यालय से स्थायी सम्बद्ध होने के कारण, नए विषयों को आरंभ करने के समय सम्बद्ध के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी स्वायत्त कालेज द्वारा आरंभ किया गया कोई भी नया विषय, स्वायत्त योजना के तहत कवर किया जाएगा।
- सरकारी स्वायत्त कालेज के प्राचार्य को बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति/अनुमोदन के वि0अ0आ0 निधियों से क्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- स्वायत्त कालेज को प्रत्येक वर्ष मूल विश्वविद्यालय को सम्बद्ध शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। स्वायत्त दर्जा प्रदान करते समय एकमुश्त फीस दी जा सकती है। इस प्रकार की फीस मूल विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

- वि0अ0आ0 प्रत्येक स्वायत्त कालेज को इंटरनेट संपर्क हेतु वीसेट प्रदान करेगा।
- स्वायत्त कालेज योग्य छात्रों के लिए पदक आरंभ करने के लिए स्वतंत्र हैं। मूल एवं विचारार्थ अन्य विषयों पर निर्णय कालेज में उचित निकायों के अनुमोदन से लिया जा सकता है।

अनुलग्नक–I

स्वायत्तता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रारूप

प्रस्ताव निम्नलिखित प्रारूप में वि0अ0आ0 को प्रस्तुत किया जाना चाहिएः

भाग I : संस्थान की पृष्ठभूमि

भाग II : मानदण्ड पर आधारित सूचना देना

1. अकादमिक ख्याति एवं व्यवस्था (विश्वविद्यालय परीक्षाओं में निष्पादन तथा अन्य अकादमिक गतिविधियां)।
2. स्टाफ की अकादमिक उपलब्धियां।
3. छात्रों तथा शिक्षकों के चयन का तरीका।
4. भौतिक सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, आवास तथा उपस्कर।
5. संस्थात्मक प्रबंध
6. संस्था के विकास के लिए वित्तीय संसाधन जिन्हें प्रबंध द्वारा जुटाया जा सकता है।
7. स्टाफ तथा छात्रों के विचारों के प्रति प्रशासन की अनुक्रिया।
8. स्टाफ की उच्च अध्ययन, अनुसंधान तथा प्रयोगों के लिए कितनी स्वतंत्रता है तथा शैक्षणिक नवाचार एवं सुधारों में शामिल होना।

भाग III : स्वायत्तता का कार्यान्वयन

–लक्ष्य एवं उद्देश्य

–कालेज का प्रबंध

–विद्या परिषद्: संरचना तथा कार्य

–पाठ्य समिति : संरचना तथा कार्य

–अन्य समितियां

–दाखिले की पात्रता

–पाठ्यचर्या कार्यक्रम

–छात्र फीड बैक

–आन्तरिक मूल्यांकन

–बाहरी मूल्यांकन

–वित्तीय निहितार्थ

–पाठ्यक्रम की विषयवस्तु

–सह–पाठ्यचर्या तथा पाठ्येत्तर गतिविधियां

भाग IV : मूलभूत सूचना

1. कालेज का नाम :
2. प्राचार्य का नाम :
3. टेलीफोन/फैक्स/ई–मेल :
4. स्थापना का वर्ष :
5. क्या निजी/सरकारी/विश्वविद्यालय: द्वारा अनुरक्षित है?
6. वर्ष जिसमें स्थायी संबंधन प्रदान किया गया :
7. विद्यमान पाठ्यक्रम

   पूर्वस्नातक

   स्नातकोत्तर

   एम.फिल.
8. गत तीन वर्ष के दौरान छात्र नामांकन :

   पूर्वस्नातक

स्नातकोत्तर

एम.फिल.

9. संकाय संख्या (श्रेणीवार) (कृपया संकाय की योग्यता/पेपर/पुस्तकें/मोनोग्राफ यदि प्रकाशित हों, के साथ उनकी सूची संलग्न करें)

10. प्रशासनिक, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय का स्टाफः

11. गत पांच वर्षों के परिणामों की प्रतिशतता :

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	कुल मिलाकर उत्तीर्ण
पूर्व स्नातक स्नातकोत्तर			

12. गत तीन वर्षों के दौरान उत्तीर्ण हुए एम.फिल./पी.एच.डी. की संख्या :

विषय	वर्ष	एम.फिल.	पी.एच.डी.

पुस्तकालय में जर्नल की सूची :

कालेज में प्रमुख उपस्करों की सूची :

(प्रत्येक की लागत रु. 50,000/– से अधिक हो)

13. क्या कालेज नाक द्वारा प्रत्यायित किया :

गया है, रेटिंग/ग्रेड का उल्लेख करें

संबंधक विश्वविद्यालय के कुल–सचिव के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

प्राचार्य के हस्ताक्षर

संलग्नक–II

स्वायत्तता की अवधि बढ़ाने हेतु प्रारूप

1. कालेज का नाम :
2. प्राचार्य का नाम :
3. टेलीफोन/फैक्स/ई–मेल :
4. स्थापना का वर्ष :
5. निजी अथवा सरकारी अथवा :
   विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित है?
6. वर्ष जिसमें स्थायी संबंधन प्रदान किया गया :
7. विद्यमान पाठ्यक्रम
   क. पूर्वस्नातक
   ख. स्नातकोत्तर
   ग. एम.फिल.
8. गत तीन वर्ष के दौरान छात्र नामांकन :
   क. पूर्वस्नातक
   ख. स्नातकोत्तर
   ग. एम.फिल.
9. संकाय की संख्या (श्रेणीवार) :
   (कृपया संकाय की योग्यता/पेपर/पुस्तकें/मोनोग्राफ यदि प्रकाशित हों, की सूची संलग्न करें)
10. प्रशासनिक, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय का स्टाफः
11. गत 6 वर्षों के परिणामों की प्रतिशतता :

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	कुल मिलाकर उत्तीर्ण
पूर्व स्नातक			
स्नातकोत्तर			

12. गत तीन वर्षों के दौरान उत्तीर्ण एम.फिल./पी.एच.डी. की संख्या :

विषय	वर्ष	एम.फिल.	पी.एच.डी.

13. पुस्तकालय में जर्नल की सूची :

14. कालेज में मुख्य उपस्करों की सूची :
(प्रत्येक की लागत रु. 50,000/– से अधिक हो)

15. गत 6 वर्षों में जुटाई गई भौतिक सुविधाएं :

क. आवास :

ख. उपस्कर :

ग. पुस्तकालय :

16. अकादमिक परिषद् :

क. सभी स्तरों पर कालेज के संकाय :

सदस्यों का शामिल होना

ख. क्या अकादमिक परिषद् में छात्रों का: प्रतिनिधित्व है, यदि ऐसा है तो उनका योगदान :

17. अध्ययन बोर्ड :

क. कितने अध्ययन बोर्ड : गठित किए गए हैं?

ख. क्या अध्ययन बोर्ड में विश्वविद्यालय : द्वारा नामित विशेषज्ञ सहित बाहरी विशेषज्ञ हैं:

18. पाठ्यचर्या :

क. वार्षिक प्रणाली है अथवा सेमेस्टर प्रणाली :

ख. स्वायत्तता प्राप्त करने के बाद से कालेज : द्वारा लागू किए गए नवाचारी पहलू एवं प्रयोग

ग. कृपया स्वायत्तता के अंतर्गत पाठ्यचर्या : विकास पर टिप्पणी दें

19. अनुसंधान गतिविधियां

क. गत पांच वर्षों के दौरान अनुसंधान कार्यक्रम/: विभागों में शुरू की गई अनुसंधान गतिविधियां

ख. चालू अनुसंधान की गतिविधियां/कार्यक्रम :

20. मूल्यांकन/परीक्षा पैटर्न :

क. स्वायत्ता की अवधि में लागू किए गए : परीक्षा सुधार, यदि कोई हो

ख. अंतिम परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र : (आंतरिक/बाह्य/सम्मिलित) तैयार करना

ग. मूल्यांकन (पूर्णतः आंतरिक/पूर्णतः बाहरी/ : अंशतः आंतरिक तथा अंशतः बाहरी)

घ. सतत् आंतरिक मूल्यांकन तथा अंतिम : परीक्षा का अनुपातिक महत्व (सतत् आंतरिक) मूल्यांकन करने के लिए दत्त कार्य, परीक्षणों आदि का ब्यौरा दें)

ड़ उत्तीर्ण करने तथा श्रेणीकरण का मानदंड :

च. क्या ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है? : यदि हां, तो ग्रेड प्रदान करने की विधि दर्शाएं

छ. क्या परिणाम घोषित करने के लिए कोई : अर्हक बोर्ड है? यदि हां, तो इसका गठन और कार्य लिखें

ज. परिणाम घोषित करते समय क्या कोई : अनुशोधन किया गया है? इसके लिए कौन सा मानदंड अपनाया जाता है?

झ. क्या सुधार की कोई व्यवस्था है?

ट. प्रयोग परीक्षाओं के लिए क्या परीक्षक आंतरिक हैं अथवा एक बाहरी और एक आंतरिक?

ठ. क्या कोई प्रश्न बैंक स्थापित किया : गया है? यदि हां, तो विषय का उल्लेख करें?

ड. क्या क्रेडिट प्रणाली लागू की गई है? :

21. परीक्षा परिणाम (गत 6 वर्ष; विषय–शाखानुसार) :

क. परीक्षा में बैठने वालों की संख्या :

ख. उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या :

ग. उत्तीर्ण उम्मीदवारों की प्रतिशतता :

घ. प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तथा विशेष योग्यता :
प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या

22. पुनर्मूल्यांकनः

– क्या पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था है? :

– पुनर्मूल्यांकन का शुल्क :

– पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने वाले :
उम्मीदवारों की संख्या तथा गत 5 वर्षों में
पुनर्मूल्यांकन से उत्तीर्ण होने वाले की संख्या

23. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला प्राप्त करने की संभावना :
तथा कालेज से निकलने वाले स्नातकों के लिए रोजगार के
अवसर :

24. व्यय :

क. कालेज का वार्षिक अतिरिक्त व्यय (गत 6 वर्ष के दौरान) :

– स्टाफ का वेतन

– लेखन–सामग्री

– परीक्षकों को पारिश्रमिक, विभिन्न प्राधिकारियों :
को दैनिक/यात्रा भत्ता आदि।

– उपस्कर

– अन्य आकस्मिकता व्यय, यदि कोई हो तो :

ख. स्रोत जहां से यह खर्च पूरा किया जाता है : (गत 6 वर्ष के दौरान)

– वि0अ0आ0, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार :
से प्राप्त वार्षिक अनुवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान :

– अन्य किसी स्रोत से अनुदान :

– प्रबंधन द्वारा योगदान :

25. क्या स्वायत्तता के कार्य करने का कोई मूल्यांकन किया गया है? यदि हां, तो परिणाम का संक्षिप्त विवरण दें:

26. क्या कालेज ''नाक'' (एन.ए.ए.सी.) द्वारा प्रत्यायित : किया गया है? यदि हां, तो रेटिंग/ग्रेड का उल्लेख करें

27. क्या विश्वविद्यालय ने दिशा–निर्देशों के अनुसार : समीक्षा की है। यदि हां, तो कृपया रिपोर्ट संलग्न करें

28. स्वायत्त दर्जे के दौरान शासी बोर्ड, अकादमिक : परिषद्, अध्ययन बोर्ड, वित्त समिति की बैठकों की संख्या, तारीख/वर्ष

29. कोई अन्य प्रासंगिक ब्यौरा :

संबंधक विश्वविद्यालय के कुल सचिव के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

प्राचार्य के हस्ताक्षर

संलग्नक **III**

शासी निकाय बोर्ड का संस्तुत गठन तथा कार्य

क. प्राइवेट प्रबंध वाले स्वायत्त कालेज के शासी निकाय का गठन

संख्या	श्रेणी	स्वरूप
5 सदस्य	प्रबंधन	संघटन अथवा उपविधियों के अनुसार न्यास अथवा प्रबंध, अध्यक्ष अथवा प्रेसिडेंट/निदेशक अध्यक्ष के रूप में
2 सदस्य	कालेज के शिक्षक	प्राचार्य द्वारा वरिष्ठता पर आधारित
1 सदस्य	शिक्षा शास्त्री अथवा उद्योगपति	प्रबंधकों द्वारा नामित
1 सदस्य	वि0अ0आ0 का नामिती	वि0अ0आ0 द्वारा नामित
1 सदस्य	राज्य सरकार का नामिती	शिक्षाविद् जो प्रोफेसर के ओहदे से कम न हो अथवा उच्च शिक्षा निदेशालय/राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का राज्य सरकार का अधिकारी
1 सदस्य	विश्वविद्यालय का नामिती	विश्वविद्यालय द्वारा नामित
1 सदस्य	कालेज का प्राचार्य	पदेन

ख. सरकारी स्वायत्त कालेज के शासी निकाय का गठन

संख्या	श्रेणी	स्वरूप
3 सदस्य, इनमें से एक अध्यक्ष होगा	शिक्षाविद्, उद्योगपति, पेशेवर	राज्य सरकार द्वारा नामितः कम से कम स्नातकोत्तर अर्हता से युक्त प्रमाणित अकादमिक रुचि वाले व्यक्ति
2 सदस्य	कालेज के शिक्षक	वरिष्ठता के आधार पर प्राचार्य द्वारा नामित
1 सदस्य	शिक्षाविद् या उद्योगपति	वरिष्ठता के आधार पर दो वर्ष के लिए प्राचार्य द्वारा नामित
1 सदस्य	वि0अ0आ0 का नामिती	वि0अ0आ0 द्वारा नामित
1 सदस्य	राज्य सरकार का नामिती	द्वारा नामित
1 सदस्य	विश्वविद्यालय का नामिती	विश्वविद्यालय द्वारा नामित
1 सदस्य	कालेज का प्राचार्य	पदेन

ग. विश्वविद्यालय के घटक स्वायत्त कालेज के शासी निकाय का गठन

संख्या	श्रेणी	स्वरूप
3 सदस्य, इनमें से एक अध्यक्ष होगा	शिक्षाविद्, उद्योगपति, पेशेवर	विश्वविद्यालय द्वारा नामित कम से कम स्नातकोत्तर योग्यता वाले प्रमाणित अकादमिक रुचि वाले व्यक्ति
2 सदस्य	कालेज के शिक्षक	वरिष्ठता के आधार पर प्राचार्य द्वारा नामित
1 सदस्य	राज्य सरकार का नामिती	राज्य सरकार द्वारा नामित

1 सदस्य	विश्वविद्यालय का नामिती	वि0अ0आ0 द्वारा नामित
1 सदस्य	राज्य सरकार का नामिती	द्वारा नामित
1 सदस्य	कालेज का प्राचार्य	पदेन

कार्यकाल: दो वर्ष, वि0अ0आ0 द्वारा नामित व्यक्ति को छोड़कर जिसका कार्यकाल पूरे 6 वर्ष का होगा। बैठक: वर्ष में कम से कम दो बार

कार्य:

संबंधित कालेजों की उपविधियों के वर्तमान उपबंधों तथा राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अधीन उपर्युक्त कालेजों के शासी निकाय* को निम्नलिखित का अधिकार होगा :

–वित्त समिति की सिफारिशों के आधार पर कालेज के छात्रों द्वारा देय फीस तथा अन्य प्रभार निर्धारित करना

–अकादमिक परिषद् की सिफारिशों पर संस्थागत छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, अधि–छात्रवृत्ति, पदक, पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रारंभ करना।

–डिग्री और अथवा डिप्लोमा प्रदान करने वाले नवीन अध्ययन कार्यक्रम शुरू करने का अनुमोदन।

–अन्य कार्य करना एवं आवश्यक तथा समुचित विकास के लिए आवश्यक तथा उपर्युक्त समझी जाने वाली समितियां गठित करना और उन उद्देश्यों की पूर्ति करना जिनके लिए कालेज को स्वायत्त घोषित किया गया है।

*** शासी निकाय/शासी बोर्ड/प्रबंध बोर्ड/कार्यकारिणी समिति/प्रबंध समिति, जैसा कि नाम दिया जाए।**

संलग्नक IV

अकादमिक परिषद् की संस्तुत संरचना तथा स्वायत्त कालेज में इसके कार्य

1. गठन

1. प्राचार्य (अध्यक्ष)
2. कालेज के सभी विभागाध्यक्ष
3. कालेज में सेवा की वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से शिक्षण स्टाफ के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले कालेज के चार शिक्षक
4. कालेज के बाहर से कम से कम चार विशेषज्ञ जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, वाणिज्य, विधि, शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि का प्रतिनिधित्व करते हों। शासी निकाय द्वारा इनका नामांकन किया जाएगा।
5. विश्वविद्यालय द्वारा नामित तीन व्यक्ति
6. प्राचार्य द्वारा नामित एक संकाय सदस्य (सदस्य–सचिव)

II. सदस्यों का कार्यकाल

नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

III. बैठकें

प्राचार्य वर्ष में कम से कम एक बार अकादमिक परिषद् की बैठक बुलाएगा।

IV. कार्य

उल्लिखित कार्यों के सामान्य स्वरूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अकादमिक परिषद् के निम्नलिखित अधिकार होंगेः–

(क) अध्ययन के पाठ्यक्रमों, अकादमिक विनियमों, पाठ्यचर्या, पाठ्य–विवरण एवं उनके आशोधनों, अनुदेशात्मक एवं मूल्यांकन की व्यवस्थाओं, विधियों तथा उनकी प्रासंगिक प्रक्रियाओं आदि की बावत पाठ्य–समितियों के प्रस्तावों की छानबीन करना और आशोधन सहित अथवा अशोधन बिना अनुमोदन करना

बशर्ते कि किसी प्रस्ताव से विद्या परिषद् सहमत नहीं है तो कारणों का उल्लेख करते हुए इसे सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड के पास मामले पर पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजने का अथवा रद्द कर देने का अधिकार होगा।

(ख) कालेज में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों के दाखिले की बावत विनियम बनाना।

(ग) खेलकूद, पाठ्येत्तर गतिविधियों, खेल के मैदानों तथा छात्रावासों के उपर्युक्त अनुरक्षण एवं कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए विनियम से प्रस्तावों की सिफारिश करना।

(घ) अध्ययन के नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए शासीनिकाय से प्रस्तावों की सिफारिश करना।

(ड़) छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां, पुरस्कार तथा पदकों की स्थापना के लिए शासी निकाय से सिफारिश करना और एतदर्श विनियम बनाना।

(च) अकादमिक मामलों के बारे में शासी निकाय के सुझावों के विषय में परामर्श देना।

(छ) शासी निकाय द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य करना।

संलग्नक V

पाठ्य समिति की संस्तुत संरचना तथा स्वायत्त कालेज में इसके कार्य

1. संरचनाः

1. संबंधित विभाग का अध्यक्ष (चेयरमैन)।
2. प्रत्येक विशेषज्ञता–क्षेत्र के सभी संकाय।
3. कालेज के बाहर से विषय में दो विशेषज्ञ। इनका नामांकन अकादमिक परिषद् करेगी।
4. कालेज के प्राचार्य द्वारा संस्तुत 6 व्यक्तियों के पैनेल में से कुलपति द्वारा एक विशेषज्ञ नामित किया जाएगा।
5. नियोजन हेतु उद्योग/कार्पोरेट सेक्टर/संबंधित क्षेत्र से एक प्रतिनिधि।
6. प्राचार्य द्वारा सुयोग्य भूतपूर्व स्नातकोत्तर छात्र नामित किया जाएगा। अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष कालेज के प्राचार्य के अनुमोदन से निम्नलिखित को सहयोजित कर सकता है।

(क) जब कभी भी अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए जाने हों तो कालेज से बाहर एक विशेषज्ञ।

(ख) उसी संकाय के स्टाफ का एक सदस्य।

II. कार्यकाल

नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

III. बैठक

कालेज का प्राचार्य विभिन्न विभागों के लिए पाठ्य–समिति की बैठक का कार्यक्रम तैयार करेगा। बैठक जब भी आवश्यक हो, आयोजित की जा सकती है किन्तु यह वर्ष में एक बार अवश्य होगी।

IV. कार्य

कालेज में विभाग की पाठ्य–समिति निम्नलिखित कार्य करेगीः

(क) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य विवरण तैयार करना, इसके लिए कालेज के उद्देश्य और जिनका हित इनसे जुड़ा है उनके हितों तथा राष्ट्रीय अपेक्षाओं का ध्यान रखना होगा। अकादमिक परिषद् इन पर अनुमोदनार्थ विचार करेगी;

(ख) नवाचारी शिक्षण तथा मूल्यांकन की तकनीकों के लिए प्रणाली का सुझाव देगी;

(ग) परीक्षकों की नियुक्ति के लिए अकादमिक परिषद् को नामों का पैनेल सुझाएगी; और

(घ) विभाग/कालेज में अनुसंधान, शिक्षण, विस्तार एवं अन्य अकादमिक गतिविधियों का समन्वय करेगी।

संलग्नक VI

वित्त समिति की संस्तुत संरचना तथा स्वायत्त कालेज में इसके कार्य

1. **संरचना:**

(क) प्राचार्य (अध्यक्ष)।

(ख) कालेज के शासी निकाय द्वारा दो वर्ष के लिए नामित एक व्यक्ति।

(ग) प्राचार्य द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रानुक्रम से नामित कालेज का सबसे वरिष्ठ शिक्षक।

वित्त समिति, शासी निकाय का सलाहकार निकाय होगा। कम से कम दो बार इसकी बैठक होगी जिसमें निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा।

(क) वि0अ0आ0 से प्राप्त/प्राप्य अनुदान और स्वायत्तता के निमित्त गतिविधियों के लिए संग्रहित की गई फीस आदि से संबंधित बजट अनुदान।

(ख) उपर्युक्त के लिए लेखा परीक्षित लेखे।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम : (प्राचार्य)

संलग्नक VII

कालेज (स्वायत्त) की प्रगति रिपोर्ट

(कालेज के प्राचार्य द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाए)

शिक्षा वर्ष.....की प्रगति रिपोर्ट

1. वि0अ0आ0 द्वारा प्रथम बार स्वायत्तता प्रदान किए जाने की तिथि :
2. वर्ष जिसमें अंतिम बाह्य मूल्यांकन किया गया :
   - क. प्रबंध सोसायटी द्वारा :
   - ख. विश्वविद्यालय द्वारा :
3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कालेज द्वारा किया गया वार्षिक मूल्यांकन :
4. वर्ष के दौरान आशोधित, रोके अथवा शुरू किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या (पाठ्यक्रमों का नाम दें) :
5. वर्ष के दौरान यदि बाह्य मूल्यांकन किया गया हो तो रिपोर्ट संलग्न करें :

6. व्यय की प्रगति

मद	गत वर्ष का उपलब्ध अप्रयुक्त अनुदान	वर्ष के दौरान वि0अ0आ0 से प्राप्त अनुदान	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	अव्ययित शेष	अभ्युक्तियां
भवन अभ्यागत शिक्षक शिक्षकों का प्रबोधन पाठ्यक्रमों की पुनः रचना कार्यशालाएं/संगोष्टियां अन्य कार्यालय/शिक्षण प्रयोगशाला उपस्कर फर्नीचर पुस्तकालय शासी तथा अन्य निकायों की बैठक					

स्थान :

तिथि:

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

(प्राचार्य)

संलग्नक VIII

उपयोग प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र सं..... दिनांक.....को.....के लिए..... योजना के अन्तर्गत.....संस्वीकृत रु.....(रुपए .....मात्र) के कुल अनुदान से रु0.....(रुपए..... मात्र) का उपयोग आयोग द्वारा विहित निबंधन और शर्तों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसे मंजूर किया गया था।

यदि जांच अथवा लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामस्वरूप, बाद में, किसी समय कोई अनियमितता पाई जाती है तो आपत्तिगत राशि को वापस, समायोजित अथवा विनियमित करने की कार्रवाई की जाएगी।

हस्ताक्षर
प्राचार्य
मुहर सहित

हस्ताक्षर
कालेज का संविधिक लेखापरीक्षक, मुहर सहित।
सनदी लेखाकार मुहर सहित तथा पंजीकरण संख्या